लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4930
01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

निधि का आबंटन

4930. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब, विशेषकर लुधियाना में वस्त्र एमएसएमई के समक्ष आने वाली वित्तीय एवं तकनीकी चुनौतियों के समाधान हेतु आबंटित धनराशि तथा इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उद्योग विखंडन की चुनौतियों का समाधान करने तथा एमएसएमई के लिए सहयोग या क्लस्टर आधारित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पंजाब में क्या विशिष्ट पहल कार्यान्वित की जा रही है;

(ग) क्या यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक बाजारों में निर्यातकों के लिए टैरिफ नुकसान को कम करने के लिए कोई राज्य-विशिष्ट कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं; और

(घ) पंजाब में सिंथेटिक फाइबर आधारित वस्त्र उत्पादन और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (घ): सरकार संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला के साथ-साथ एमएसएमई के समग्र विकास पर केंद्रित है और पंजाब सहित पूरे देश में कई योजनाएं लागू कर रही है। प्रमुख योजनाओं/पहलों में एक आधुनिक, एकीकृत, विश्व स्तरीय टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं अपैरल (पीएम मित्र) पार्क योजना; मांग आधारित, रोजगार उन्मुख, कौशल कार्यक्रम प्रदान करने के लिए वस्त्र क्षेत्र क्षमता निर्माण के लिए योजना-समर्थ; रेशम उत्पादन मूल्य श्रृंखला के व्यापक विकास के लिए सिल्क समग्र-2; अनुसंधान नवाचार और विकास, संवर्धन और बाजार विकास पर केंद्रित राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन; हथकरघा क्षेत्र को एंड-टू-एंड सहायता देने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम शामिल है। वस्त्र मंत्रालय हस्तशिल्प कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना भी लागू कर रहा है। इस योजना के तहत मार्केटिंग, कौशल विकास, कलस्टर विकास, कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ, अवसंरचना तथा प्रौद्योगिकी सहायता आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, मंत्रालय वस्त्र क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, रोजगार के अवसर पैदा करने और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश भर के वस्त्र केंद्रों में विश्व स्तरीय, अत्याधुनिक अवसंरचना के वस्त्र पार्क स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु एकीकृत वस्त्र पार्क (एसआईटीपी) योजना लागू कर रहा है। यह योजना दिनांक 31.03.2021 तक लागू थी; यद्यपि, अब इस योजना को केवल जारी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए टेक्सटाइल क्लस्टर विकास योजना (टीसीडीएस) की व्यापक योजना के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। एसआईटीपी के तहत, पंजाब में तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	पार्क का नाम	भारत सरकार द्वारा जारी किया गया शेयर (करोड़ में)	रोज़गार	निवेश (करोड़ में)
1	लोटस इंटीग्रेटेड टेक्स पार्क, बरनाला	40.00	1500	500
2	रिदम टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क लिमिटेड, नवांशहर	36.00	1875	120
3	लुधियाना इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क लिमिटेड, लुधियाना	36.00	2790	148.62
कुल		**112.00**	**6165**	**768.62**

उपरोक्त के अलावा, सरकार बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए मैन-मेड फाइबर (एमएमएफ) फैब्रिक, एमएमएफ अपैरल और तकनीकी वस्त्रों पर फोकस करते हुए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना लागू कर रही है। इसके अलावा, निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए, भारत ने अब तक विभिन्न व्यापारिक भागीदारों के साथ 14 मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) और 6 तरजीही व्यापार समझौते (पीटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। निधियों का आवंटन योजना-वार किया जाता है, जिसे अखिल भारतीय आधार पर लागू किया जाता है।

***